

प्रारूप "अ"  
देखिए नियम 9 (3)(4) और (6)  
कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर

1

क्रमांक आर 18बी (25) 09/संस्था/

दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

भूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण-एवं शिक्षण संस्थान मुकन्दपुरा जरिये हाल सचिव श्री बशीधर पुत्र श्री रामकुमार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम धिनोई तहसील चौमू के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम<br>पिता/पति के नाम सहित पूरा पता   | भूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण<br>एवं शिक्षण संस्थान मुकन्दपुरा जरिये हाल<br>सचिव श्री बशीधर पुत्र श्री रामकुमार<br>यादव जाति अहीर निवासी ग्राम धिनोई<br>तहसील चौमू<br>नहीं |
| 2 | क्या आवेदक अनुसूचित जाति या<br>अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।   | नहीं   |
| 3 | संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:-<br>(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का<br>नाम                                  | ग्राम मुकन्दपुरा एवं ग्राम पंचायत जालसू,<br>तह0 आमेर   |
|   | (ब) भूमि का खसरा संख्या और<br>प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल   | ख0न0 507/364 रकबा 0.39 मे से 0.04<br>है0,भूमि समर्पण के पश्चात् शेष रकबा 0<br>35 है0   |
|   | (स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल<br>को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन<br>क्षेत्रफल (हेक्ट. या व.मी.) | ख0न0 507/364 रकबा 0.39 मे से 0.04<br>है0,भूमि समर्पण के पश्चात् शेष रकबा 0.<br>35 है0  |
| 4 | संपरिवर्तन का प्रयोजन   | संस्था प्रयोजनार्थ   |
| 5 | संदेय प्रीमियम की दर  | 27.50/-रू0   |
| 6 | चालान की संख्या तथा तारीख सहित<br>जमा कराई गई प्रीमियम की रकम   | चा0न0 17 दिनांक 25.4.12 से राशि<br>96,250/-रू0 राजकोष में जमा करायी<br>गई।   |
| 7 | चालान की संख्या तथा तारीख सहित<br>शास्ति यदि कोई हो,की जमा करायी<br>गई रकम                              | चा0न0 17 दिनांक 25.4.12 से राशि<br>1,47,180/-रू0 राजकोष में जमा करायी<br>गई।   |
| 8 | चालान की संख्या तथा तारीख सहित<br>ब्याज यदि कोई हो,की जमा करायी<br>गई रकम                               | नही।   |
| 9 | क्या आदेश नियमितकरण के लिए<br>नियम 13 के अधीन जारी किया गया<br>है।                                      | प्रकरण में 1338 वर्गमीटर भूमि पर बिना<br>अनुमति के निर्माण होने के कारण<br>1,47,180/-रूपये उक्तानुसार 4 गुना<br>शास्ती वसूल कर नियमीतीकरण किया<br>गया है।                      |

10 अन्य विशिष्टिया, यदि कोई हो।

आवेदित भूमि पर पहुच मार्ग सरथा की  
रासरा नम्बर 607/364 में से 0.04 हे०  
निशुल्क समर्पित की गयी है।

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:-
- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
  - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पूत हो जायेगा।
  - (3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
  - (4) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/ अन्य सडक मार्ग जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक हेतु छोड़ी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
  - (5) राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता घाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
  - (6) आवेदित भूमि पर निर्माण निर्धारित साईड बैंक्स को छोडकर नियमानुसार ही करवाना होगा।
  - (7) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6 (6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.07 एवं प. 6 (6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
  - (8) आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही है तो राज्य सरकार की आधिस्वचना दिनांक 15.05.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा में से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपों स्थित हो तो डिपों सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
  - (9) राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 एवं इस संबुध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
  - (10) संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.65 (310) एसई/स्थानि/जैसारों/2005/12259 दिनांक: 11.02.2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।

जिला कलक्टर,

जयपुर

दिनांक: 14-5-12

क्रमांक: सम/5340-46

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलक्ट्रेट, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर
4. तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत जालसू, पं.स. आमेर जिला जयपुर।
6. भूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मुकन्दपुरा जरिये हाल सचिव श्री बंशीधर पुत्र श्री रामकुमार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम धिनोई तहसील चौमू
7. आदेश/गार्ड पत्रावली

अति० कलक्टर (राजस्व)

प्रारूप 'ब'

देखिये नियम 9 (3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर (मु.) जयपुर

क्रमांक / रूपान्तरण / 13 /

172

दिनांक 9/11/17

संपरिवर्तन आदेश

①

श्री जगदीश प्रसाद पुत्र भूरामल जाति अहीर नि० ग्राम मुकन्दपुरा ठ तह० आमेर, जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र भूरामल जाति अहीर नि० ग्राम मुकन्दपुरा ठ तह० आमेर, जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम मुकन्दपुरा ठ ग्रा० पं० जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल	खसरा नं० 519/364 रकबा 0.15 हे० १०मु० आबादी
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमी० में)	खसरा नं० 519/364 रकबा 0.15 हे० अर्थात् 1500 वर्गमी०
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	34.39 रुपये प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान नं० 306 दि० 03.01.2013 से राशि 39,347/- पूर्व में जमा चालान न. 454 दिनांक 28.12.2010 राशि 12,338/- कुल 51,585/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम।	नहीं
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है।	नहीं
अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो।	नहीं

2-2023

	x
0*	1500*
10	9000
20	8500
30	8500
00	26,00

123

(INDI)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत होगा -

उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अप्राकृतिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ी जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी  
आमेर मु० जयपुर

क्रमांक / संस्था / 12 / 173 - 126

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत जालसू, पं. स. आमेर।
4. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र भूरामल जाति अहीर नि० ग्राम मुकन्दपुरा II, तह० आमेर, जयपुर
5. आदेश / गार्ड पत्रावली




उपखण्ड अधिकारी  
आमेर मु० जयपुर

E-CHALLAN  
Government Of Rajasthan  
Revenue Board

481  
14/1/16

Valid Upto:- 11/02/2016 Remitter's Copy for Dept  
GRN :- 0009141604 Date:- 12/01/2016 8:11:00 PM

BarCode:-   
Office Name:- Jaipur Tesildar, Amer

Location:- AMER  
Year: 01/04/2015 To 31/03/2016

Head(0029)	Amount	₹
0029-00-800-07-02-ग्रामीण भूमि रूपांतरण शुल्क (चाल)	34,000.00	

Discount :- ₹ 0.00  
Total/Net Amount:- ₹ 34,000.00  
Thirty Four Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Detail

TIN/Act. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-  
PAN No.:- तहसील अमेर (जयपुर)  
Remitter Name:- (TDR AMER) BHURAMAL KANARAM MEMORIAL JANKALYAN SHI  
Address:- VILLAGE-MUKANDPURA TEH AMER PATWAR HALKA JALSU JAIPUR- 303702  
Remarks: Suamoto Conversion charges of 3400 sq mts For Institutional purpose Of kh no 508/364 Rakba 0.24 hec Kh no 506/364 Rakba 0.35 Hec At Village-Mukandpura teh Amer jaipur

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD-No.:  
Bank CIN No.:  
Bank S.B.B.J. AMER


14 JAN 2016

24000

1



नामकल नमकल गगन मुवन्दरुव  
ततत/ल. उतुत  
जलल - लुत  
(रतततत)



ततत ततततत

ततततत  
27/9/12

ततततत ततततत ततततत ततततत P25 2008 3419  
ततततत ततततत ततततत 27/9/12  
ततततत ततततत ततततत 20  
ततततत ततततत ततततत 27/9/2012  
ततततत ततततत ततततत



## जमाबन्दी (खेत्र/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)  
(देखिये नियम 153 ए)  
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- मुकन्दपुरा  
पटवार हल्का :- जालसू  
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जाहोता  
तहसील :- आमेर  
जिला :- जयपुर

सम्बत :- 2070 - 2073  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 93  
खाता संख्या पुराना :- 80

काश्तकार का नाम/पिता का नाम  
जाति निवास के पते सहित :-

रामसहाय पुत्र भूरा कौम अहीर सा. देह खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कूपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
506/364	0.3500	बारानी 3	0.3500	0.70		
कुल	1	0.3500	0.3500	0.70		
खसरे -						

केवल प्रमाणित प्रतिलिपि ही न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है।

लाइसेंस संख्या :- JAIP/LRC/CC/12/17/210

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/11/2016

प्रमाणीकरण  
(पटवारी/ओथकमिशनर द्वारा)

**NIC** लाइसेंस संख्या JAIP/LRC/CC/12/17/210  
लाइसेंस का नाम :- किशन लाल  
नकारित जारी करने की तिथि 6/11/16  
संशोधित प्रतिपत्र संख्या क्रमांक 27  
प्राप्त की तिथि 20/11/16  
ब लाइसेंस धारक



## जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)  
(देखिये नियम 153 ए)  
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- मुकन्दपुरा  
पटवार हल्का :- जालसू  
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जाहोता  
तहसील :- आमेर  
जिला :- जयपुर

काश्तकार का नाम/पिता का नाम  
जाति निवास के पते सहित :-

सम्बत :- 2070 - 2073  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 67  
खाता संख्या पुराना :- 55

भूरामल कानाराम मेमोरियल जनकल्याण एँव शिक्षा  
सँस्थान मुकन्दपुरा द्वितिय जयपुर राज. जरिये सचिव  
वँशीधर पुत्र रामकुमार यादव जाति अहीर नि. ग्राम  
घिनोई तह. चौमू जिला जयपुर खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
507/364	0.3500	संस्थानिक प्रयोज	0.3500	0.00		
कुल	1	0.3500	0.3500	0.00		
खसरे -						

केवल प्रमाणित प्रतिलिपि ही न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है।

लाइसेंस संख्या :- JAIP/LRC/CC/12/17/210

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/11/2016

प्रमाणीकरण  
(पटवारी/ओथकमिशनर द्वारा)

**NIG** लाइसेंस संख्या JAIP/LRC/CC/12/17/210

आयदक का नाम व पता ... मिश्रा जयदीप  
नकल जारी करने की तिथि 6/11/16  
संवर्धित रजिस्ट्रार पं इन्द्राज प्रसाद  
प्राप्त की गति 20/11/16

ह लाइसेंस धारक



जमाबन्दी (खेज़ट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मुकन्दपुरा  
पटवार हल्का :- जालसू  
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जाहोता  
तहसील :- आमेर  
जिला :- जयपुर  
काश्तकार का नाम/पिता का नाम  
जाति निवास के पते सहित :-

सम्बत :- 2070 - 2073  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 68  
खाता संख्या पुराना :- 29

भूरामल कानाराम मैमोरियल जनकल्याण एवं शिक्षा  
संस्थान मुकन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर  
राजस्थान जरिये सचिव बंशीधर पुत्र रामकुंवार जाति  
अहीर नि.ग्राम घिनोई तह.चौमू जिला जयपुर खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
508/364	0.2400	बारानी 3	0.2400	0.48		
519/364	0.1500	संस्थानिक प्रयोज	0.1500	0.00		
कुल	2	0.3900	0.3900	0.48		
खसरे -						

केवल प्रमाणित प्रतिलिपि ही न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है।

लाइसेंस संख्या :- JAIP/LRC/CC/12/17/210  
प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/11/2016

प्रमाणिकरण  
(पटवारी/ओथकमिशनर द्वारा)

NIC

लाइसेंस संख्या JAIP/LRC/CC/12/17/210  
अधिकारी का नाम व पता ...  
नकल जारी करने की तिथि ...  
संपादन रजिस्ट्रार के इच्छा संख्या ...  
प्राप्त की तिथि ...

ब लाइसेंस धारक